6336(E)
7/9/18

पथ निर्माण विभाग

दिनांक–07/09/18को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत SH-17 चौसा–गोला कोचस पथ (बसही पुल तक) में पथ संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2013–14 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–1251(अनु0) दिनांक 08.05.2018 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत SH-17 चौसा–गोला कोचस पथ (बसही पुल तक) में पथ संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2013–14
2.2	एकरारनामा संख्या	:	16/CMBD/2013-14
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹20,15,62,716.00
2.4	संवेदक का नाम	:	M/s Pawansut Construction
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	28.02.2014
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	31.01.2015
2.7	मूल कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	:	12.12.2016
2.8	मूल कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की		12.12.2016

3. **समयवृद्धि का कारणः–**

(i) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गया क्वेरी बन्द हो जाने के बाद डाला क्वेरी से मेटेरियल लेने के लिए विभाग द्वारा विलम्ब से आदेश देने के कारण कार्य बाधित रहा।

7.IX.18 7/9

(ii) विचलन की स्वीकृति विभाग द्वारा विलम्ब से मिलने के कारण कार्य बाधित रहा।

(iii) पैक्ड (Packed) Bitumen के अनुपलब्धता के कारण विभाग द्वारा Bulk Bitumen के आदेश देने में विलम्ब के कारण कार्य बाधित रहा।

(iv) लोक सभा चुनाव, 2014 के कारण कार्य बाधित रहा।

(v) विधान सभा चुनाव, 2015 के कारण भी कार्य बाधित रहा।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसाः–**

सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 12.12.2016 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की जाती है। चूँकि कार्य पूर्ण होने में विलंब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं, इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत् अनुमान्य लाभ दिये जाने का अनुशंसा की जाती है।

5. विभागीय पत्रांक–3853(ई0) दिनांक 05.06.2018 द्वारा मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग को विषयांकित कार्य से संबंधित समयवृद्धि हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र एवं साक्ष्य आधारित पूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, जिसके अनुपालन में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग के पत्रांक–1637(अनु0) दिनांक 14.06.2018 द्वारा केवल कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर का पत्रांक–1491अनु0 दिनांक 13.12.2017 समर्पित किया गया परन्तु इसके साथ वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

6. पुनः विभागीय पत्रांक–4969(ई0) दिनांक 19.07.2018 द्वारा मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग को विषयांकित कार्य से संबंधित समयवृद्धि हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र एवं साक्ष्य आधारित पूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, जिसके अनुपालन में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग के पत्रांक–2377(अनु0) दिनांक 20.08.2018 द्वारा विषयांकित कार्य में समयवृद्धि हेतु विहित प्रपत्र एवं दिनांक 07.05.2018 को आयोजित तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा में अंकित समयवृद्धि का कारण से संबंधित साक्ष्य संलग्न किया गया है।

7.12.18

7. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–

7.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–1251(अनु0) दिनांक 08.05.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं संवेदक द्वारा दिये गये **undertaking** के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत **SH-17** चौसा–गोला कोचस पथ (बसही पुल तक) में पथ संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2013–14 (एकरारनामा सं0–**16/CMBD/2013-14**) हेतु दिनांक दिनांक 12.12.2016 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में **Positive Price Neutralization** देय नहीं होगा एवं विस्तारित अवधि में **Negative Price Neutralization** की स्थिति में तदनुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। विलम्ब के लिये जिम्मेवार कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई की जाय।

7.IX.18
(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार(या0) उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना

07/09/18
(रजनीश कुमार)
उप सचिव
–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना ।

7/9/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना ।

7.9.18
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक–प्र0–7/विविध (स0वृ0)–04–138/2018– 6336(E) पटना, दिनांक 7/9/18

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0)उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/9/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

F ABP